

स्कूल द्वारा भरा जाए

अगर बालिका स्कूल में पढ़ती है तो नीचे दिए गए रिक्त स्थान अवश्य भरें ।

| बालिका की फोटो | कक्षा | सेक्शन | विद्यालय का नाम एवं पता | सरकारी / प्राइवेट | विद्यालय कोड आई.डी. | विद्यार्थी कोड संख्या | आधार नं० बालिका का | कक्षा अध्यापिका के हस्ताक्षर |
|----------------|-------|--------|-------------------------|-------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|------------------------------|
| | | | | | | | | |

प्रधानाचार्य के हस्ताक्षर एवं मोहर

घोषणा पत्र

मैं..... पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री घोषणा करता / करती हूँ कि मेरे द्वारा दिया गया विवरण मेरी जानकारी में पूर्णतया सही है। यदि इसमें कोई भी सूचना गलत पाई जाती है तो मेरे विरुद्ध अपराधिक मामला दर्ज किया जा सकता है एवं लाभ की राशि ब्याज समेत वापस ली जा सकती है।

बालिका के पिता के हस्ताक्षर / बायें अंगूठे का निशान

बालिका के माता के हस्ताक्षर/दायें अंगूठे का निशान

(कार्यालय प्रयोग के लिए)

आंचकर्ता के लिए

नाम पदनाम हस्ताक्षर

स्वीकृति करने वाले अधिकारी के लिए

नाम पदनाम हस्ताक्षर

आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित दस्तावेजों की फोटो कॉपी संलग्न करें :-

1. आवेदन से पूर्व दिल्ली में रहने का तीन वर्ष का प्रमाण - राशन कार्ड / खोटर पहचान पत्र / बिजली / पानी / टेलिफोन का बिल।
2. बालिका का दिल्ली का जन्म प्रमाण पत्र (रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु द्वारा जारी)।
3. प्रार्थना-पत्र पर माता-पिता व बालिका का संयुक्त फोटो।
4. माता-पिता का आय प्रमाण पत्र / स्वयं द्वारा सत्यापित आय घोषणा पत्र (मूल प्रति)।
5. माता-पिता व बालिका के आधार कार्ड एवं उसके आवेदन की छाया प्रति संलग्न करें।

आवेदक के लिए दिशा निर्देश

1. प्रार्थना पत्र बालिका की जन्म तिथि से एक वर्ष के अंदर अपने जिला कार्यालय में जमा कराएं।
2. प्रार्थना पत्र विद्यालय में दाखिला लेने के बाद उसी वर्ष 31 अक्टूबर तक जमा करना होगा अन्यथा उस पर विचार नहीं होगा।
3. नवीनीकरण (Renewal) जिस जिला कार्यालय में बालिका का लाडली योजना में पंजीकरण हुआ था, नवीनीकरण भी उसी जिला कार्यालय में होगा। बालिका के कक्षा 1, 6, 9, 11 व 12 में दाखिला लेने पर होगा अतः माता-पिता इन कक्षाओं में बालिका का प्रवेश होते ही अप्रैल से सितम्बर माह में आवश्यक दस्तावेज विद्यालय में जमा करायें व नवीनीकरण करायें।
4. स्कूल के माध्यम से आने वाले पंजीकरण / नवीनीकरण उसी जिला कार्यालय में जमा होंगे जिस जिले के अंतर्गत स्कूल आता है।
5. डाक द्वारा भेजे गए प्रार्थना पत्र किसी भी अवस्था में स्वीकार नहीं किये जायेंगे।
6. पारंपर्यता राशि (Maturity Claim) तभी प्राप्त होगी जब बालिका 18 वर्ष की होने पर ही कम से कम 10वीं कक्षा नियमित विद्यार्थी के रूप में पास करेगी। अथवा राशि 12वीं कक्षा पास करने के बाद ही प्राप्त की जा सकेगी।

For more details visit Website:- www.wcdtel.in